कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली

(शिक्षा भवन, दिग्धीकला, हाजीपुर)

रविन्द्र कुमार, बि0शि0से0
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।

मोबाईल नं0-8544412079
हाजीपुर, वैशाली-844102

E-mail Id.-deovaishali.edn@gmail.com,deo-vaishali@bihar.gov.in

पत्रांक-.....920.....

सेवा में,

सभी प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक,
उच्च/उच्चतर/उ0 माध्यमिक विद्यालय,
जिला-वैशाली।

हाजीपुर, दिनांक-.....11/5/26.....

विषयः- विभागीय नियमानुसार विद्यालय में पदस्थापित लिपिक को नामांकन, वित्तीय पंजी संधारण एवं अन्य लिपिकीय कार्यो का संपूर्ण प्रभार सौंपने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक अंकित करना है प्रायः यह देखा जा रहा है कि विद्यालयों में लिपिक के पदस्थापित होने के बावजूद उनसे निर्धारित लिपिकीय कार्य नहीं लिए जा रहे हैं, जो विभागीय निर्देशों के प्रतिकूल है।

विभागीय नियमानुसार विद्यालय लिपिक को मुख्य रूप से निम्नलिखित दायित्व सौंपे जाने का प्रावधान है-

1. विद्यालय की नामांकन पंजी एवं स्थानांतरण प्रमाण-पत्र पंजी का संधारण।
2. रोकड़ पंजी, आवंटन पंजी, आय-व्यय पंजी तथा अन्य सभी प्रकार की वित्तीय पंजियों का संधारण।
3. छात्रवृत्ति, पोशाक, साइकिल एवं अन्य सभी प्रकार की डी0बी0टी0 योजनाओं का डाटा संधारण।
4. विद्यालय के शिक्षकों एवं कर्मियों की सेवा पुस्तिका, वेतन विपत्र तथा अनुपस्थिति विवरणी से संबंधित संचिकाओं का संधारण।
5. विद्यालय के पत्र प्राप्ति एवं प्रेषण पंजी का संधारण।

उक्त के आलोक में आपको निदेश दिया जाता है कि अपने विद्यालय में पदस्थापित विद्यालय लिपिक को पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर उपर्युक्त वर्णित कार्यो (विशेषकर नामांकन एवं वित्तीय पंजी संधारण) का संपूर्ण प्रभार अनिवार्य रूप से हस्तगत करा दें। प्रभार-प्रदान एवं प्रभार-ग्रहण (हस्तगत प्रतिवेदन) की संयुक्त हस्ताक्षरित प्रति 03 (तीन) दिनों के अंदर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा), वैशाली को प्रतिवेदित करना सुनिश्चित करें। साथ ही सभी प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी लिपिकीय, वित्तीय या अन्य कार्य के निष्पादन से पूर्व संबंधित विद्यालय लिपिक द्वारा संचिका विधिवत रूप से आपके समक्ष उपस्थापित की गई है और उस पर आपका स्पष्ट आदेश/निर्णय अंकित किया गया है। बिना विधिवत संचिका उपस्थापन के कोई भी कार्य निष्पादित नहीं किया जाए। आदेश का ससमय अनुपालन नहीं किए जाने की स्थिति में संबंधित प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक की जवाबदेही तय करते हुए अग्रेतर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

विश्वासभाजन

11-5-26

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।

ज्ञापांकः-.....920..... हाजीपुर दिनांकः-.....11/5/26.....

प्रतिलिपिः- सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, जिला- वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः-जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा), जिला-वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

11-5-26

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।

11/5/26